



सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपरतण्ड अधिकारी/लेण्ड रेकार्ड अधिकारी रेलमगरा, जिला-

प्रकरण : संख्या - 18/22
(2022/40)

शीर्षक - दली-य-5

पनाम - नामा/ली/...

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
07/01/26	पत्रावली पेशा उभय पक्ष, प्राचि. उपा. पत्रावली वास्ते बहस नDR रिपोर्ट के दि. 21/01/26 को पेशा है।
21/01/26	वादी/प्रतिकारीगण उपस्थित/पीठासीन अधिकारीजी राजकार्य से भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व अटेंस की पालना में दिनांक 11/02/26 को पेशा है।
11/2/26	वादी/प्रतिकारीगण उपस्थित/पीठासीन अधिकारीजी राजकार्य से भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व अटेंस की पालना में दिनांक 25/02/26 को पेशा है।
25/02/26	पत्रावली पेशा हुई। अर्थात् उभय पक्ष उप. प्राचि. नDR रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों व बहस के दौरान प्रस्तुत बिंदु व जवाब अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्राची की भूमि पर जाने हेतु प्राची के स्वतंत्रता एक कर्षी एक अन्य आराजी स्वसरा सं 4893 मौजूद है जो कि रास्ते के सटवा होकर आराजी स 4884 तक जाती है। किन्तु प्राची द्वारा जानबूझकर विपरीत की आराजी स. 4887 व 4888 से रास्ता चला जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से जोरिन किया जाता है पत्रावली फंसाव सुनार होना व से कम है। फंसाव सुनी अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपरतण्ड अधिकारी)
रेलमगरा